

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/जय/निविदा/2020/

दिनांक :

निदेशक

निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
सचिवालय, राजस्थान जयपुर।

विषय:- जब्तशुदा खनिज बजरी नीलामी की निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि एमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी बाबत् निविदाए आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति की 8 (आठ) प्रतियाँ मय सॉफ्टकॉपी, एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय स्तर के अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु संलग्न कर प्रेषित है। इसका यू.बी.एन. नं. MIN1920GLOB0001..... है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

५०

(अनिल गुप्ता)

खनि अभियन्ता, जयपुर

दिनांक : ०३.०३.२०२०

क्रमांक:- खअ/जय/नीलामी/2020/ 885-890

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर जयपुर।
2. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
3. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत जयपुर।
6. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

203032020
खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/जय/निविदा/2020/ ४४५

दिनांक :- ०३.०३.२०२०

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर जिले के विभिन्न पुलिस थाना/चौकी क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान एमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जप्तशुदा बजरी अनुमानित मात्रा 23575.46 टन आरक्षित दर 700/- रु. प्रतिटन (दर जिला टास्क फोर्स जयपुर द्वारा सुविधा की दृष्टि से 23575.46 टन बजरी को चार समूहों में बांटा गया है जिसका का विवरण निम्न तालिका व विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1,000/- रु. का डी.डी./बैंकर्स चैक "खनि अभियन्ता, जयपुर" (MINING ENGINEER JAIPUR) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 23 मार्च 2020 (दोपहर 1.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

नीलामी हेतु बजरी समूहों का संक्षिप्त विवरण—

क्र.सं.	समूह का विवरण	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	न्यूनतम बोली राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	समूह-ए-आमेर, जयपुर, चौमू क्षेत्र की	5941	4158700/-	415870/-	1000/-
2	समूह-बी-सांगानेर, बर्सी, जमवारामगढ़ क्षेत्र की	4940	3458000/-	345800/-	1000/-
3	समूह-सी- फागी, चाकसु क्षेत्र की	5873	4111100/-	411110/-	1000/-
4	समूह-डी- दूदू फूलेरा एवं अजमेर रोड क्षेत्र की	6821.46	4775022/-	477502/-	1000/-
	योग	23575.46	16502822	1650282	

चारो समूहों (पुलिस थाना/चौकी क्षेत्रों) में पड़ी जप्तशुदा बजरी कुल मात्रा करीबन 23575.46 टन की प्रत्येक समुह के लिए अलग-अलग बोली दरें सीलबंद लिफाफे में दिनांक 23 मार्च 2020 (सायकल 5.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को प्राप्त: 11.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे, नीलामी की राते एवं विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

*(अनिल गुप्ता)
खनि अभियन्ता जयपुर*

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
 पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी रक्षीम, जयपुर - 302 005
 दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/जय/निविदा/2019/ ४९१-९७५

दिनांक :- 03.03.2020

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण

जयपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्त शुदा खनिज बजरी (जैसी हैं उसी स्थिति में) जिसे सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार चार समुहों में बांटा गया है।

समुह ए— आमेर, जयपुर, चौमु क्षेत्र की

क्रम सं.	पुलिस धाने का नाम जहां जप्त बजरी पड़ी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/ अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	दौलतपुरा चौकी	46		
2	सायपुरा चौकी	173		
3	आमेर	20		
4	सराय बावडी	30		
5	चन्दवाजी चौकी	213		
6	जालसू	6		
7	जाटावाली	40		
8	अचरौल चौकी	48		
9	टाटियावास चौकी	186		
10	कुण्डा चौकी	136		
11	कालवाड	578		
12	करधनी	494		
13	हरमाडा	360		
14	विद्याधर नगर	48		
15	महेश नगर	72		
16	मानसरोवर	262		
17	शिप्रा पथ	94		
18	मालवीयनगर	122		
19	जवाहर संकिल	72		
20	श्याम नगर	30		
21	करनी विहार	330		
22	ब्रह्मपुरी	61		
23	बजाज नगर	131		
24	मुरलीपुरा	222		
25	विश्वकर्मा	73		
26	बिदायका चौकी	306		
27	चित्रकूट	29		
28	भट्टा बस्ती	60		
29	शास्त्री नगर	104		
30	सोडाला	3		
			4,15,870	41,58,700

31	वैशाली नगर	46
32	ज्योति नगर	32
33	जवाहर नगर	20
34	ट्रांसपोर्ट नगर	141
35	आदर्श नगर	80
36	गांधी नगर	4
37	रामगंज	14
38	गलता गेट	315
39	कालाडेरा	315
40	गोविन्दगढ़	182
41	चौमू	250
42	रेनवाल	72
43	सामोद	47
44	खेजडोली चौकी	74
	योग	5941

समुह बी— सागानेर, बस्सी, जमवारामगढ़ क्षेत्र की

1	मुहाना	956
2	मुहाना मण्डी	107
3	सागानेर	1289
4	प्रतापनगर	384
5	सागानेर सदर	285
6	खो नागोरियान	189
7	सेज थाना	424
8	दांतली सिरोली चौकी	12
9	बस्सी	26
10	तुंगा बस्सी	120
11	आंधी	154
12	बगराना चौकी	250
13	कानोता	327
14	जटवाडा	12
15	जमवारामगढ़	188
16	रायसर चौकी	217
	योग	4940

3,45,800

34,58,000

समुह सी— फागी, चाकसु क्षेत्र की

1	फागी	2325
2	माघोराजपुरा चौकी	449
3	निमेडा	406
4	रेनवाल चौकी (फागी)	631
5	शिवदासपुरा	1167

4,11,110

41,11,100

6	चाकसू	653		
7	कोटखावदा	242		
	योग	5873		

समुह-डी - दूदू फूलेरा एवं अजमेर रोड क्षेत्र की

1	फुलेरा	73.46		
2	जोबनेर	452		
3	नरैना	126		
4	बंधे के बालाजी	57		
5	दूदू	1406		
6	मौजमाबाद चौकी	75		
7	सांभर	6	4,77,502	47,75,022
8	बगरू	1835		
9	भांकरोटा	2148		
10	महला चौकी	597		
11	बिचून चौकी	46		
	योग	6821.46		
	कुल योग	23575.46	16,50,282	1,65,02,822

निविदा कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी :— नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार/विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

- प्रत्येक समुह के लिए अलग निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से समुह का नाम लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 23 मार्च 2020 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ समूह के अनुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, जयपुर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता एक रो अधिक समुह के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे।
- निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
- जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संबंधित समूह (पुलिस थाना/चौकी परिसर) में की जा सकती है।
- सफल निविदादाता को जप्तशुदा बजरी समूह (पुलिस थाना/चौकी परिसर) में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्च पर उठानी होगी।
- प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफलतम

निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस ही अनुमत होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।

7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित समुह की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन (इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

9. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।

10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्ज्वलता/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।

11. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

12. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बन्धित ऊपर अंकित अधिकारियों को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।

15. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।

16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस सम्बंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।

19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।

21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

22. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

क्रमांक:- खअ/जय/नीलामी/2019/ ४१-७५

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. प्रभारी, डीएमजी ओएमएस, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत् जयपुर।
6. थानाधिकारी पुलिस थाना मुहाना, मुहाना मण्डी, भांकरोटा, कालाडेरा, कालवाड, करधनी, हरमाडा, गोविन्दगढ़, विधाधर नगर, चौमू, दौलतपुरा चौकी, महेश नगर, मानसरोवर, शिप्रापथ, सांगानेर, प्रताप नगर, सांगानेर सदर, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, श्याम नगर, करणी विहार, शिवदासपुरा, चाकसू, रेनवाल, फागी, माधोराजपुरा चौकी, बस्सी, कोटखावदा, तुंगा बस्सी, बिचून चौकी, दूदू फुलेरा, जोबनेर, नरैना, बगरू, सायपुरा चौकी, आमेर, राससर चौकी, आंधी, ब्रह्मपुरी, महला चौकी, मौजमाबाद चौकी, बजाज नगर, मुरलीपुरा, बिन्दायका चौकी, विश्वकर्मा, चित्रकूट, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, सोडाला, वैशाली नगर, ज्योति नगर, जवाहर नगर, द्रांसपोर्ट नगर, आदर्श नगर, गांधी नगर, गलता गेट, खो-नागोरियान, सेज थाना, दांतली सिरोली चौकी, जमवारामगढ़, माधोराजपुरा, निमेडा, रेनवाल फागी, रेनवाल चौकी, बन्धे के बालाजी, सराय बावडी, चन्दवाजी चौकी, जालसू, जाटावाली, अचरोल चौकी, बगराना चौकी, कानोता, जटवाडा, खेजडोली चौकी, सामोद, टाटियावास चौकी।
7. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(अनिल गुप्ता)
खनि अभियन्ता जयपुर

दिनांक : ०३.०३.२०२०

3/03/2020
खनि अभियन्ता, जयपुर

निविदा प्रपत्र

मेरे द्वारा समूह (पुलिस थाना/चौकी परिसर) में पड़ी जप्तशुदा बजरी की अनुमानित मात्रा एवं गुणवत्ता आदि की जानकारी कर ली गई है।

मैं समूह (पुलिस थाना/चौकी परिसर) में पड़ी सम्पूर्ण बजरी (मात्रा जो निविदा सूचना में अंकित है) के लिये अपनी निविदा बोली राशि रु. (प्रति टन) प्रस्तुत करता हूँ।

बयाना/अमानत राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या दिनांक राशि रु. संलग्न है।

निविदा कार्यवाही हेतु शर्त निम्नानुसार रहेगी :— नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार/विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. प्रत्येक समूह के लिए अलग निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से समूह का नाम लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 23 मार्च 2020 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।

2. प्रत्येक निविदा के साथ समूह के अनुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, जयपुर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक समूह के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग—अलग ही संलग्न करने होंगे।

3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।

4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संबंधित समूह (पुलिस थाना/चौकी परिसर) में की जा सकती है।

5. सफल निविदादाता को जप्तशुदा बजरी समूह (पुलिस थाना/चौकी परिसर) में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्च पर उठानी होगी।

6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफलतम निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस ही अनुमत होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।

7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित समूह की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन (इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

8. निविदादाता को एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

9. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।

10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उच्च/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निवेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।

11. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

12. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बंधित ऊपर अंकित अधिकारियों को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रखना किया जा सकेगा।

15. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।

16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस सम्बंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।

19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रखना जारी किया जायेगा।

20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।

21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रखना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रखना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

22. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

संलग्न:- 1

2

3

निविदादाता का नाम
एवं हस्ताक्षर मो. नं.